मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 1999 (फाल्गुन 6, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री नन्द किशोर खत्री, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दिनांक 30 जून, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा

(ख) पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (मध्यप्रदेश) का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 (दिनांक 1.7.96 से 30.6.97),

पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री पुष्पराज सिंह, रमाकान्त तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा में बायपास मार्ग न होने से अनेक दुर्घटनाएं घटित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, सेवा राम गुप्ता, सदस्य, ग्वालियर के गोरखी परिसर में निर्माणाधीन दुकानों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः).

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 1999